न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 44/2018 जिला सीकर

1. रामावतार शर्मा पुत्र श्री चुन्नीलाल, उम्र लगभग 74 वर्ष, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम नरोदडा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रदीप कुमार दाधीच पुत्र श्री चिरंजीलाल,
2. सांवरमल पुत्र श्री भींवाराम,
3. श्रीराम पुत्र श्री भींवाराम,
4. प्यारेलाल पुत्र श्री चिरंजीलाल,
5. सुशीलकुमार पुत्र श्री चिरंजीलाल,
6. रविप्रकाश पुत्र श्री चिरंजीलाल,
7. नवलकिशोर पुत्र श्री चिरंजीलाल,
8. विमला पत्नी स्व. श्री चिरंजीलाल,
   समस्त जाति जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम नरोदडा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।
9. उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान।
10. राजस्थाान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला—सीकर दिनांक 17.05.2018

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री के.आर.शर्मा
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1, 7, 8 श्री हरलाल सिंह
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 9 व 10 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —06.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 17.05.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 07.08.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने कृषि भूमि पर चल रहे/बने रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 09.05.2018 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के प्रावधानुसार मुताबिक ग्राम नरोदडा, पटवार हल्का नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जमाबन्दी संवत 2061—2064 खाता सं. 295 खसरा सं. 310 में रास्ते हेतु 0.04 हैक्टेयर (104 मीटर X 4 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 104 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। खाता सं. 310 खसरा सं. 311/2 में रास्ते हेतु 0.04 हैक्टेयर (108 मीटर X 4 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 108 मीटर व चौडाई 4 मीटर का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 17.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम नरोदडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित खसरा नम्बर 835 जिसके हाल खसरा नं. 310, रकबा 1.08 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में दर्ज व अमल है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 अपीलार्थी को बिना कोई सूचना एवं नोटिस जारी किये बिना ही अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये। खसरा नम्बर 310 में प्रचलित पगडण्डी राजस्व रिकॉर्ड में डोटेड लाईन से दर्शित थी। जिसको राजस्व रिकॉर्ड में केवल अपीलार्थी की भूमि में से ही रास्ता लेने का कोई अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को उपलब्ध नहीं था। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। डोटेड लाईन से दर्शित रास्ता रेल्वे लाईन के आगे की भूमि में भी दर्शित था। वर्तमान में रेलवे लाईन ब्रोडगेज में परिवर्तन होने के कारण रेल्वे का क्रोसिंग रास्ता भी बन्द हो गया है, केवल मात्र अपीलार्थी की भूमि में ही रास्ता काटा गया है। रेल्वे लाईन के दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं काटा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 215 क में जोत में से होकर नया मार्ग खोला या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नं. 311 के खातेदार को रास्ता उपलब्ध कराने की नियत से कानूनी प्रावधानों को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क का अवलोकन करना चाहिये था। यदि किसी खातेदार काश्तकार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो धारा 251 क के अनुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन करके प्रचलित बाजार दर से दुगनी राशि पर रास्ता देने का प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं पर गौर नहीं करके भारी कानूनी भूल की है। इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 17.05.2018 निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 7, व 8 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर को तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने सडक/रास्ता/कदीमी रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर कृषि भूमि पर चल रहे/बने रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कराये जाने हेतु निजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 09.05.2018 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के प्रावधानुसार मुताबिक ग्राम नरोदडा, पटवार हल्का नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जमाबन्दी संवत 2061–2064 खाता सं. 295 खसरा सं. 310 में रास्ते हेतु 0.04 हैक्टेयर (104 मीटर X 4 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 104 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। खाता सं. 310 खसरा सं. 311/2 में रास्ते हेतु 0.04 हैक्टेयर (108 मीटर X 4 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 108 मीटर व चौडाई 4 मीटर का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। रास्ते के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का

Scanned by CamScanner

अनुसरण करते हुए समस्या व समाधान के अन्तर्गत राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय व निजी भूमियों मे चालू किन्तु मौसम ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने कृषि भूमि पर चल रहे/बने रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव दिनांक 09.05.2018 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के प्रावधानुसार मुताबिक ग्राम नरोदडा, पटवार हल्का नरोदडा तहसील लक्ष्मणगढ जमाबन्दी संवत 2061–2064 खाता सं. 295 खसरा सं. 310 में रास्ते हेतु 0.04 हैक्टेयर (104 मीटर X 4 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 104 मीटर व चौडाई 4 मीटर है। खाता सं. 310 खसरा सं. 311/2 में रास्ते हेतु 0.04 हैक्टेयर (108 मीटर X 4 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 108 मीटर व चौडाई 4 मीटर का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। रास्ते के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए समस्या व समाधान के अन्तर्गत राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय व निजी भूमियों मे चालू किन्तु मौसम ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं है तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः—अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 17.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner